

पूर्वोत्तर रेलवे

अधिसूचना

दिनांक 10.11.2025

का/227/राज/सीएमपी(जीडीएमओ)/इज्जतनगर

इच्छुक एवं योग्य चिकित्सकों को पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर मण्डल में कान्ट्रैक्ट मेडिकल प्रेक्टिशनर (सीएमपी/जीडीएमओ) के रूप में एक वर्ष के लिये अनुबन्ध तथा अस्थाई आधार पर इंगेज किये जाने का निर्णय लिया गया है। इच्छुक अभ्यर्थियों की नीचे उल्लेखित शर्तों के अनुसार उपयुक्तता को जाँचने के लिये एक वॉक इन इन्टरव्यू (Walk-In-Interview) निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोजित किया जायेगा, जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

वॉक इन इन्टरव्यू(Walk-In-Interview) का स्थान	दिनांक एवं समय
वरिष्ठ मण्डल कार्मिक अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर के चैम्बर में।	26.11.2025 को 11:00 बजे

क्रमांक	पद	रिक्तियों	योग्यता
01	कान्ट्रैक्ट मेडिकल प्रेक्टिशनर (सीएमपी/जीडीएमओ)	02	M.B.B.S+01 Year Rotatory Internship

(UR=01, OBC=01)

नोट-

1. एक वर्ष की कान्ट्रैक्ट की समय सीमा इंगेजमेंट की तिथि से गणना की जायेगी तथा सेवा एक वर्ष पूर्ण होने पर स्वतः समाप्त हो जायेगी।
2. इंगेज किये जाने वाले सीएमपी/जीडीएमओ की पदस्थापना रिक्तियों के आधार पर इज्जतनगर मण्डल के क्षेत्राधिकार में कही पर भी पदस्थापित किये जाने का अधिकार प्रशासन के पास सुरक्षित है।
3. सेवानिवृत्त रेलवे चिकित्सकों (67 वर्ष से कम) को वरीयता दी जायेगी।
4. अनुभव को वरीयता दी जायेगी परन्तु ऐसे उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं जिसके पास अनुभव नहीं है।
5. कान्ट्रैक्ट मेडिकल प्रेक्टिशनर (सीएमपी/जीडीएमओ) को प्राइवेट प्रेक्टिस की अनुमति नहीं होगी।
6. कान्ट्रैक्ट मेडिकल प्रेक्टिशनर (सीएमपी/जीडीएमओ) रेलवे आवास के लिये यद्यपि पात्र नहीं होंगे परन्तु आवास उपलब्ध होने पर उन्हें वर्तमान में रेलवे बोर्ड के पत्र सं० 2020/E(GR)II/1/2 दिनांक 04.07.2022 में निहित दिशा-निर्देशों के तहत लागू किराया शुल्क एवं सामान्य लाइसेन्स शुल्क की दर पर आवास उपलब्ध कराया जा सकता है।
7. रेलवे में अनुबन्ध के दौरान ड्यूटी के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश सीएमपी में चयन के उपरान्त आफर आफ इंगेजमेंट द्वारा जारी किया जायेगा।

शैक्षिक योग्यता एवं पात्रता:-

भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता M.B.B.S+01 Year Rotatory Internship पूर्ण होनी चाहिये तथा भारतीय चिकित्सा परिषद या किसी राज्य चिकित्सा परिषद के साथ वैध रजिस्ट्रेशन होना चाहिये, कोई अन्य प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। वॉक इन इन्टरव्यू हेतु सभी मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज लाना आवश्यक है।

आयु:-

2. सेवा निवृत्त रेल एवं प्रान्तीय मेडिकल सेवा के डाक्टरों की अधिकतम आयु सीमा 67 वर्ष होगी, और अन्य के लिए यह 65 वर्ष होगी।
2. अधिसूचना जारी करने की तिथि को 53 वर्ष से कम आयु होनी चाहिये। यद्यपि अधिकतम आयु सीमा में ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 03 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी।

पारिश्रमिक-

1. रेलवे बोर्ड के परिपत्र सं० 2020/E(GR)II/1/3 Dated 17.09.2024 में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार सीएमपी(जीडीएमओ) के लिये मासिक पारिश्रमिक प्रतिमाह रु० 95,000/- निर्धारित दर से भुगतान किया जायेगा।

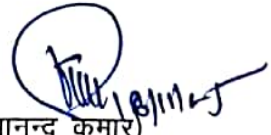


2. सेवा निवृत्त राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के चिकित्सा अधिकारियों के लिये रेलवे बोर्ड निर्धारित मासिक पारिश्रमिक दिया जायेगा जो कि सेवानिवृत्त चिकित्सक की पेंशन+संविदा पारिश्रमिक को मिलाकर सेवानिवृत्त के समय प्राप्त किये जा रहे अंतिम मूल वेतन से अधिक नहीं होगा।
3. यदि (सीएमपी/जीडीएमओ) को रेलवे आवास आवंटित किया जाता है तो उन्हें वर्तमान में रेलवे बोर्ड के पत्र सं० 2020/E(GR)/II/1/2 दिनांक 04.07.2022 में निहित दिशा-निर्देशों के तहत लागू किराया शुल्क एवं सामान्य लाइसेन्स शुल्क की दर से उनके मासिक पारिश्रमिक से काटा जायेगा।

अन्य नियम व शर्तें-

1. चयनित उम्मीदवारों को चिकित्सा परीक्षा में उपयुक्त पाये जाने पर ही (सीएमपी/जीडीएमओ) के पद पर इंगेज किया जायेगा।
2. रेलवे के साथ अनुबंध करने वाले चिकित्सक का रेल सेवा में निरन्तरता, स्वतः विस्तार के लिये कोई दावा या अधिकार नहीं होगा।
3. अनुबंध की वैधता के दौरान सीएमपी उनके बेहतर कैरियर/अन्य किसी आधार पर 15 दिन का पूर्व नोटिस देकर सेवाओं को समाप्त किये जाने के लिये स्वतंत्र होगा। रेल प्रशासन द्वारा भी अनुबंध के दौरान किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना दिये बिना या बिना कोई कारण बताये अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है। यदि सीएमपी मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम पाया जाता है तो भी रेल प्रशासन द्वारा उसका अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। संविदा चिकित्सकों के रूप में की गयी सेवायें एक अस्थायी व्यवस्था है तथा संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियमित चयनित अभ्यर्थियों की उपलब्धता पर सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी। संविदा के आधार पर इंगेज डाक्टरों को नियमतीकरण अथवा स्थाई रूप से समाहित करने की कोई भी प्रावधान नहीं है।
4. नियुक्ति किये गये सीएमपी IRMM 2000 के पैरा 622(8) में "विशेष" रूप से वर्गीकृत किये गये आपरेशनस को छोड़कर स्वयं के लिये निशुल्क चिकित्सा का लाभ उठा सकते हैं। अनुबंध की अवधि के दौरान वह सम्बंधित जोनल रेलवे अस्पताल में सामान्य रूप से उपलब्ध सुपर स्पेशलिटी सेंटर में स्वयं के उपचार की सुविधा ले सकते हैं।
5. रेलवे में अनुबंध के दौरान ड्यूटी के सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश सीएमपी को चयन के उपरान्त ऑफर आफ इंगेजमेंट द्वारा जारी किये जायेंगे।
6. किसी भी सेवा निवृत्त रेलवे चिकित्सक को जिन्हे सीएमपी के लिये इंगेज किया जाना है, को सुविधा पास/पीटीओ की सुविधा देय नहीं होगा। आवेदक आवेदन के समय अपनी पदस्थापना का विकल्प दे सकते हैं परन्तु वह प्रशासन के लिये बाध्यकारी नहीं होगा तथा उन्हें प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार कहीं भी पदस्थापित किया जा सकता है।
7. साक्षात्कार में सम्मिलित होने मात्र से ही सीएमपी के रूप में चयनित होने का दावा उम्मीदवार नहीं कर सकेगा। यदि कोई उम्मीदवार वॉक-इन-इन्टरव्यू के उपरान्त पात्र नहीं पाया जाता है। पात्र न होने का कारण नहीं बताया जायेगा। इंगेजमेंट हेतु रेलवे बोर्ड के परिपत्र No.2019/E(GR)/II/1/1 दिनांक 09.03.2020 तथा रेलवे बोर्ड के परिपत्र No.2019/E(GR)/II/1/1 दिनांक 28.02.2017 के साथ प्राप्त JPO के अनुसार उपयुक्तता के आकलन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित हैं जिसमें निर्धारित शैक्षिक योग्यता के अधिकतम 60 अंक, उच्चशिक्षा के अधिकतम 10 अंक, अनुभव के अधिकतम 10 अंक एवं मौखिक परीक्षा के अधिकतम 20 अंक निर्धारित हैं।
8. पूर्वोत्तर रेलवे का इज्जतनगर मण्डल बिना कोई कारण बताये इस अधिसूचना को रद्द करने का पूर्ण अधिकार रखता है।

संलग्न-आवेदन का प्रारूप


(आनन्द कुमार)
सहायक कार्मिक अधिकारी/आईआर
इज्जतनगर

अनुबंध के आधार पर सीएमपी(जीडीएमओ) के पद पर इंगेजमेन्ट के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप सेवा में,

मण्डल रेल प्रबंधक(कार्मिक)
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

अभ्यर्थी का अद्यतन
स्वहस्ताक्षरित पास
पोर्ट साइज फोटो

आपके द्वारा जारी अधिसूचना संख्या का/227/राज/सीएमपी(जीडीएमओ)/इज्जतनगर दिनांक 18.11.2025 के सन्दर्भ में इज्जतनगर मण्डल, पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर में (सीएमपी/जीडीएमओ) के पद पर इंगेजमेन्ट के लिये आवेदन कर रहा/रही हूँ।

उम्मीदवार का नाम(हिन्दी में)	
उम्मीदवार का नाम (In English Block Letters)	
पिता/पति का नाम	
पत्राचार के लिये पता (मोबाइल नं0 सहित)	
जन्म तिथि(हाईस्कूल प्रमाणपत्र संलग्न करें)	
लिंग(पुरुष/महिला)	
जाति(सामा0/ओबीसी/अजा/अजजा)	
यदि सेवा निवृत्त चिकित्सक है तो उसका विवरण पीपीओ./सेवा प्रमाण पत्र सहित	
राष्ट्रीयता	
धर्म	
मातृभाषा	
शैक्षणिक योग्यता (दस्तावेजों की स्वयंप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें)	
भा.चि.परि./राज्य चि.प. का रजि. नं0(प्रमाणपत्र संलग्न करें)	
अनुभव(दस्तावेजों की स्वयंप्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें)	वर्ष.....माह.....दिन
संलग्न किये गये दस्तावेजों की सूची	

घोषणा- मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने नियम एवं पात्रता की शर्तों को ध्यान से पढ़ा है एवं मैं इनसे संतुष्ट हूँ। आवेदन पत्र में दिये गये समस्त तथ्य मेरी जानकारी/विश्वास के अनुसार पूर्ण एवं सत्य है तथा यदि मेरे इंगेजमेन्ट के बाद किसी भी स्तर पर इनमें किसी प्रकार की कमी पायी जाती है अथवा झूठे पाये जाते हैं तो मेरा इंगेजमेन्ट बिना किसी सूचना के तुरन्त प्रभाव से समाप्त किया जा सकता है।

स्थान:-

दिनांक:-

उम्मीदवार के हस्ताक्षर